महाबीर वेजिटेबल ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

10 मार्च, 2006

[एस.बी. सिन्हा और पी.के. बालासुब्रमण्यम एएन, जस्टिस)

प्रॉमिसरी एस्टॉपेल;

प्रॉमिसरी एस्टॉपेल- विधायी क्षेत्र में भी लागू होता है या नही। माना गया, हां लागू होता है, जब तक यह स्थापित नहीं किया जाता कि इसमें ऐसा कोई सर्वोपरि सार्वजनिक हित नहीं था जो राज्य के खिलाफ एस्टॉपेल को लागू किये जाने को न्यायविरुद्ध बना देगा क्योंकि ऐसी छूट देना राज्य की शक्ति के भीतर था।

हरियाणा राज्य ने **1.4.1988** से **31.3.1997** की अवधि के लिए एक औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए बिक्री कर छूट के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाना था।

अपीलकर्ता सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के मालिक हैं। अपीलकर्ताओं ने नियम **28**ए बनाने में राज्य द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के अनुसरण में

या उसे आगे बढ़ाने में निवेश किया था और जिस तारीख को नियम **28**ए में संशोधन किया गया था, यानी **16.12.1996** को, अपीलकर्ता ने उक्त नियम के प्रावधानों का काफी हद तक अनुपालन किया था। जैसा कि नियमों से जुड़ी अनुसूची **III** में, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट को शामिल नहीं किया गया था, अपीलकर्ता ने कुल परियोजना लागत का **45%** की बड़ी राशि का निवेश किया और इस प्रकार, एक अपरिवर्तनीय स्थिति में पहुंच गया।

धारा **25-**ए के तहत नियम बनाने की शक्ति के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए, राज्य ने नियम बनाए जिन्हें हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, **1975** (संक्षेप में 'नियम') के रूप में जाना जाता है। नियमों के अध्याय **IV** ए में आने वाले नियम **28**ए में उद्योगों की श्रेणी, कर के भुगतान से छूट/आस्थगन के लिए अवधि और अन्य शर्तें प्रदान की गई हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा **138** और **25**ए दोनों के तहत परिकल्पित है।

3.1.1996 को या उसके आसपास, नियमों में संशोधन करने के राज्य के इरादे के संबंध में एक नोटिस दिया गया था, जिसके संबंध में प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एक मसौदा प्रसारित किया गया था ताकि उन्हें आपत्तियां और सुझाव दर्ज करने में सक्षम बनाया जा सके। उक्त मसौदा नियमों के संदर्भ में संशोधन

16/12/1996 को अधिसूचित किए गए थे, जिसमें नियमों से जुड़ी अनुसूची **III** को प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके तहत सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट को इसमें शामिल किया गया था। **28** मई, **1997** को या उसके आसपास, उक्त नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ नोट **2** को हटाकर यह मानते हुए संशोधन किया गया कि इन्हें हमेशा से हटा दिया गया है। **3** जून, **1997** को एक बार फिर नियमों के नियम **28** ए के उपनियम **(2)** के खंड (ए) में और **31** मार्च, **1997** के स्थान पर "दिनांक जिस दिन उद्योग को प्रोत्साहन के लिए नई नीति की घोषणा की जाती है" शब्द जोड़ा गया। हरियाणा सरकार द्वारा उद्योग विभाग में" प्रतिस्थापित किया गया। **26** जून **2001** को धारा **13-8** में "ऐसी अवधि के लिए" शब्दों के बाद "या तो संभावित या पूर्वव्यापी" शब्द जोड़े गए।

16.12.1996 तक, अपीलकर्ता ने कुल परियोजना लागत का लगभग **80%** निवेश किया था। अपीलकर्ताओं ने **16.12.1996** को बिक्री कर के भुगतान से छूट देने के लिए आवेदन किया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि उन्होंने नियम **28** ए बनाने में राज्य द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाने में निवेश किया था और जिस तारीख को नियम **28** ए

में संशोधन किया गया था, यानी **16.12.1996** को, अपीलकर्ता ने उक्त नियम के प्रावधानों का काफी हद तक अनुपालन किया था। जैसा कि नियमों से जुड़ी अनुसूची **III** में, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट को शामिल नहीं किया गया था, अपीलकर्ता ने बड़ी राशि का निवेश किया जैसा कि उद्योग निदेशक के दिनांक **4.9.1997** के पत्र से पता चलता है कि उसने कुल परियोजना लागत का **45%** निवेश किया था और, इस प्रकार, एक अपरिवर्तनीय स्थिति पर पहुँच गया। आगे यह तर्क दिया गया कि राज्य द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है कि परिचालन अवधि के अंत में संशोधन क्यों किया गया था; ऐसे छूट प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लेना अन्यथा कानून की नजर में गलत है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए रिट याचिका का निस्तारण कर दिया व

अभिनिर्धारित: **1.1** यह किसी भी संदेह से परे है कि जब तक कोई सर्वोपरि सार्वजनिक हित ना हो जो राज्य के खिलाफ एस्टॉपेल को लागू करने के लिए असमान बना दे, प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का सिद्धांत विधायी क्षेत्र में भी लागू होता है क्योंकि राज्य को ऐसी छूट देने की शक्ति है।

सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड बनाम हाई ट्रीज़ हाउस लिमिटेड, **(1947)1** केबी **130;** बॉम्बे कलेक्टर बनाम बॉम्बे शहर नगर निगम और अन्य, एआईआर **(1951)** एससी **469;** मेसर्स मोतीलाल पदमपत शुगर

मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य,**[1979] 2** एससीसी **409;** पौरनामी ऑयल मिल्स और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, **(1986] 1 (**सप्लीमेंट**)** एससीसी **728;** सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त *(*सहायक*)* धारवाड़ और अन्य बनाम धर्मेंद्र ट्रेडिंग कंपनी और अन्य, **(1988) 3** सीसी **570,** मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यिक कर और अन्य, **(1992)** सप्लिमेंट **1** एससीसी **21;** पवन अलॉयज एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ बनाम यूपी राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य, **(1997) 7** एससीसी **251** और पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड और अन्य, **[2004] 6** एससीसी **465,** संदर्भित।

1.2. जो प्रदान किया गया है उसे सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है**,** सिवाय उस स्थिति के जहां वचनबंधन या प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का सिद्धांत लागू होता है। यह भी तय है कि प्रॉमिसरी एस्टॉपेल इक्विटी और सार्वजनिक हित पर संचालित होता है।

राजस्थान राज्य और अन्य बनाम जे.के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड और अन्य, **[2004] 7** एससीसी **673** और बन्नारी अम्मन शुगर्स लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर और अन्य, **[2005]** एल एससीसी **625,** संदर्भित।

2.1. अब कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रारूप नियमों को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब क्षेत्र में कोई नियम लागू न हो।

कुछ मामलों में निर्णय लेने के उद्देश्य से कुछ शर्तों के अधीन प्रारूप नियमों का सहारा भी लिया जा सकता है।

पॉन्डिचेरी सरकार के माध्यम से भारत संघ और अन्य बनाम वी. रामकृष्णन और अन्य, **[2005] 8** एससीसी **394,** पर आधारित।

3.1. एक अधीनस्थ कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव और पूर्वव्यापी संचालन दिया जा सकता है, यदि इस संबंध में कोई शक्ति मुख्य अधिनियम में निहित है। नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित विधान का एक प्रकार है। एक प्रतिनिधि केवल उसके चारों कोनों के भीतर ही नियम बना सकता है।

3.2. यह कानून का एक मौलिक नियम है कि किसी भी क़ानून को तब तक पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा निर्माण अधिनियम की शर्तों में बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट न हो, या आवश्यक और विशिष्ट निहितार्थ से उत्पन्न न हो।

वेस्ट बनाम ग्वेने, **(1911)** अध्याय **2,** संदर्भित।

3.3. नोट **2** के कारण, कुछ अधिकार प्रदान किये गये। यद्यपि निहित अधिकारों और अर्जित अधिकारों के बीच एक अंतर है, क्योंकि प्रत्यायोजित कानून के कारण किसी अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। **1996** में किए गए संशोधन और **2001** से पहले किए गए बाद के

संशोधन, इस प्रकार, पूर्वव्यापी प्रभाव से अपीलकर्ता के अधिकारों को नहीं छीना जा सकता।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की सिविल अपील संख्या 1635

संशोधित सी.डब्ल्यू.पी. में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 22.4.2004 के अंतिम निर्णय और आदेश से। 1997 का क्रमांक 15025

साथ

डब्ल्यू.पी. (सी) 2004 की संख्या 489 और 2006 की सिविल अपील संख्या 1636

अपीलकर्ताओं के लिए एस. गणेश, महाबीर सिंह, एस.पी. सिंह चौहान, सुश्री मधुस्मिता बोरा, एस. श्रीनिवासन, निखिल नैय्यर और अंकित सिंघल।

उत्तरदाताओं के लिए मंजीत सिंह, श्रीमती विवेकता सिंह, हरिकेश सिंह, हरिकिशन कटारिया और सुश्री कविता वाडिया।

न्यायालय का फैसला जस्टिस एस.बी.सिन्हा द्वारा सुनाया गया। एस.एल.पी. में अनुमति प्रदान की गयी।

इन अपीलों में प्रॉमिसरी एस्टोपेल की प्रयोज्यता और/या उसकी

सीमा प्रश्न में है, जो 1997 की संशोधित सिविल याचिका संख्या 15025 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित 22.04.2005 के फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई है। बुनियादी तथ्य विवाद में नहीं है।

अपीलकर्ता सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के मालिक हैं। हरियाणा राज्य ने 1.4.1988 से 31.3.1997 की अवधि के लिए एक औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए बिक्री कर छूट के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाना था।

राज्य ने हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (संक्षेप में "अधिनियम") लागू किया। अधिनियम की धारा 64 नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। उक्त प्रावधान को उसमें उप-धारा (2ए) जोड़ा जा कर संशोधित किया गया था जो इस प्रकार है:

> "(2ए) उपधारा (2) के खंड (एफएफ) और (ओओ) के संबंध में उपधारा (1) और (2) के तहत नियम बनाने की शक्ति में ऐसे नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति शामिल होगी यानी तारीख से जिस पर राज्य द्वारा उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति की घोषणा की गई है और इस उद्देश्य के लिए हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975

के नियम 28ए, 28बी और 28सी पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगे यानी 1 अप्रैल, 1988, 1 अगस्त, 1997, 15 नवंबर, 1999 क्रमशः से प्रभावी होंगे। लेकिन इस तरह के पूर्वव्यापी संचालन से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस पर ऐसे नियम लागू हो सकते हैं।"

अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (2) का खंड (एफएफ) धारा 13बी के तहत उद्योगों की श्रेणी, छूट की अवधि और ऐसी छूट की शर्तों का प्रावधान करता है; जबकि इसके खंड (ओओ) में धारा 25-ए के तहत उद्योगों की श्रेणी, स्थगन की अवधि और इस तरह के स्थगन के लिए लगाई जाने वाली शर्तों का प्रावधान है।

अधिनियम की धारा 13-बी दिनांक 8.9.1988 को जोड़ी गई थी।

उक्त नियम बनाने की शक्ति के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए, राज्य ने नियम बनाए जिन्हें हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975 (संक्षेप में नियम') के रूप में जाना जाता है। नियमों के अध्याय IV ए में आने वाले नियम 28ए में उद्योगों की श्रेणी, कर के भुगतान से छूट/आस्थगन के लिए अवधि और अन्य शर्तें प्रदान की गई हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 13 बी और 25ए दोनों के तहत परिकल्पित है। नियमों के नियम 28ए के उप-नियम (2)(ए) में 'संचालित अवधि' को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "अप्रैल 1988 के प्रथम दिन से

शुरू होने वाली और मार्च 1997 के 31वें दिन को समाप्त होने वाली अवधि"। इसके उप-नियम (2)(सी) में "नई औद्योगिक इकाई" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है "एक इकाई जो हरियाणा राज्य में स्थापित की गई है या स्थापित की गई है और परिचालन अवधि के दौरान पहली बार वाणिज्यिक उत्पादन में आती है या आई है और पुरानी मशीनरी की खरीद या हस्तांतरण के परिणामस्वरूप नहीं बनी है या नहीं बनी है, सिवाय इसके कि जब भारत के क्षेत्र में आयात के दौरान खरीदी गई हो या जब पुरानी मशीनरी की लागत मशीनरी की कुल लागत का 25% से अधिक न हो- स्थापना, समामेलन, पट्टे में परिवर्तन, स्वामित्व में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन, व्यवसाय का हस्तांतरण, मौजूदा इकाई का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार"। "नकारात्मक सूची" को उप-नियम 2(ओ) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "इन नियमों से जुड़ी अनुसूची III में निर्दिष्ट उद्योगों की श्रेणी की एक सूची"।

नियमों के साथ संलग्न अनुसूची III में उन उद्योगों और/या उद्योगों के वर्ग की एक नकारात्मक सूची प्रदान की गई है जिन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाना था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट को निश्चित रूप से सूची में शामिल नहीं किया गया था।

3.1.1996 को या उसके आसपास, नियमों में संशोधन करने के राज्य के इरादे के संबंध में एक नोटिस दिया गया था, जिसके प्रभावित होने की

संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एक मसौदा प्रसारित किया गया था ताकि उन्हें आपत्तियां और सुझाव दर्ज करने में सक्षम बनाया जा सके। उक्त मसौदा नियमों की शर्तों में संशोधन 16 दिसंबर, 1996 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें नियमों से जुड़ी अनुसूची III को प्रतिस्थापित किया गया था, जिसके तहत सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट को इसमें शामिल किया गया था। इसके साथ संलग्न नोट 2 इस प्रकार है:

> "जिन औद्योगिक इकाइयों में परियोजना की अनुमानित लागत का 25% तक निवेश किया गया है और जिन्हें पहली बार उपरोक्त सूची में शामिल किया गया है,वे 3 जनवरी, 1996 तक किए गए निवेश की सीमा से संबंधित बिक्री कर लाभ के हकदार होंगे। केवल उन्हीं संपत्तियों को स्थायी पूंजी निवेश में शामिल किया जाएगा जो साइट पर स्थापित की गई हैं और जिनके लिए भुगतान किया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत किसी वित्तीय संस्थान को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ली जाएगी या ऋण आहरण के लिए बैंक और जिसे संबंधित वित्तीय संस्थान या बैंक द्वारा ऋण की मंजूरी के लिए स्वीकार कर लिया गया है।"

28 मई, 1997 को या उसके लगभग, उक्त नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ नोट 2 को हटाकर यह मानते हुए संशोधन किया गया कि इन्हें

हमेशा से हटा दिया गया है।

3 जून, 1997 को एक बार फिर नियमों के नियम 28ए के उपनियम (2) के खंड (ए) में और 31 मार्च, 1997 के स्थान पर "दिनांक जिस दिन उद्योग को प्रोत्साहन के लिए नई नीति की घोषणा की जाती है" शब्द जोड़ा गया। हरियाणा सरकार द्वारा उद्योग विभाग में" प्रतिस्थापित किया गया।

26 जून 2001 को धारा 13-बी में "ऐसी अवधि के लिए" शब्दों के बाद "या तो संभावित या पूर्वव्यापी" शब्द जोड़े गए।

महावीर वनस्पति तेल प्रा. लिमिटेड (2004 की एस.एल.पी. (सी) संख्या 17730 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलकर्ता) ने इकाई स्थापित करने के लिए अगस्त, 1995 के महीने में 30 कनाल 17 मरला भूमि खरीदी। इसने 06.09.1995 को अधिनियम और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकरण भी प्राप्त किया। 13.08.1996 को इसने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, उक्त अनापत्ति प्रमाण पात्र सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए एक शर्त है। 15.08.1996 को, अपीलकर्ता ने मेसर्स साराटेक कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स, करनाल के साथ एक समझौता किया जिसके तहत प्लांट की आपूर्ति और निर्माण के लिए रु. 55,55,000/- और रु. क्रमशः 22,75,000/- और विभिन्न तिथियों पर

अग्रिम भुगतान किया गया। इसके अलावा 6.09.1996 को, साइट पर सिविल निर्माण कार्य शुरू हुआ। हेक्सेन के भंडारण की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को विस्फोटक विभाग द्वारा 19.9.1996 को मंजूरी दी गई थी और लाइसेंस अंततः 11.3.1997 को दिया गया था। 26.09.1996 को, साइट पर संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई। 18.11.1996 को या उसके आसपास, एक 250 के वी ए बिजली उत्पादन सेट की लागत रु 9,91,000/- स्थापित किया गया था, जिसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र 22.11.1996 को प्रदान किया गया था। अपीलकर्ता ने हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को दिनांक 12.12.1996 के प्रार्थना पत्र के माध्यम से बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए आवेदन किया और सुरक्षा के रूप में इसके लिए 68,700/- रु. जमा करवाए। दिनांक 26.03.1997 को अपीलकर्ता ने परीक्षण उत्पादन शुरू किया और 29.03.1997 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ।

भारत रसायन लिमिटेड (2004 की एसएलपी (सी) संख्या 23361 से उत्पन्न सिविल अपील में अपीलकर्ता) ने 17.01.1991 को ग्राम मखरा, मदीना-मखरा रोड, जिला रोहतक में कीटनाशकों के निर्माण के लिए अपनी इकाई की स्थापना रु. 252. 70 लाख के निवेश के साथ की। दिनांक 17.1.1991 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ। अपीलकर्ता की इकाई पिछड़े क्षेत्र में आती है। 7.8.1993 को, अपीलकर्ता ने 181.83 लाख रुपये के

अतिरिक्त निवेश के साथ विस्तार किया और इसकी इकाई में उत्पादन क्षमता में 250MT और जोड़ा गया, जिसके लिए इसके पक्ष में पात्रता प्रमाणन/छूट प्रमाणन जारी किया गया था। अपीलकर्ता ने 4.12.1993 से अधिनियम के तहत और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत विस्तारित इकाई के लिए बिक्री कर ई विभाग के साथ खुद को पंजीकृत भी कराया। 16.11.1995 को, अपीलकर्ता ने अतिरिक्त लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया जो उसके द्वारा निर्मित उत्पाद के लिए आवश्यक था। 3.2.1997 को अपीलकर्ता को भारत सरकार के साथ पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा, 7.9.1997 को, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा इसे एक अतिरिक्त लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसकी प्राप्ति के बाद, अपीलकर्ता ने विनिर्माण लाइसेंस में नई वस्तुओं को जोड़ने के लिए कृषि निदेशक, हरियाणा को एक आवेदन किया और अपीलकर्ता ने 28.4.1998 को अपनी विस्तारित इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

16.12.1996 तक उन्होंने कुल परियोजना लागत का लगभग 80% निवेश कर दिया था। अपीलकर्ताओं ने 16.12.1996 को बिक्री कर के भुगतान से छूट देने के लिए आवेदन किया था जिसे महाबीर वेजिटेबल ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में निम्नलिखित शर्तों पर खारिज कर दिया गया था:

"सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट को 16.12.1996 से नकारात्मक

सूची में शामिल किया गया था। औद्योगिक इकाई ने कुल निवेश का 45% निवेश किया है। अधिसूचना में यह शर्त लगाई गई थी कि जिस औद्योगिक इकाई में परियोजना की अनुमानित लागत का 25% तक निवेश किया गया है, जिसे पहली बार नकारात्मक सूची में शामिल किया गया है, वह बिक्री कर लाभ की हकदार होगी, हालाँकि, यह शर्त रखी गई है अधिसूचना दिनांक 28.5.1997 द्वारा हटा दिया गया। समिति का विचार था कि यह शर्त पहले ही हटा दी गई है और कुछ पक्षों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उद्योग निदेशक का विचार था कि यदि किसी विशेष उद्योग को नकारात्मक सूची में रखा जाता है, तो इकाई को नकारात्मक सूची में डालने की तारीख से पहले किए गए निवेश के कारण बिक्री कर छूट/स्थगन के लिए इकाई को लाभ उपलब्ध होना चाहिए। हालाँकि उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी मोटे तौर पर इस दृष्टिकोण से सहमत थी, फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे मामले वाणिज्यिक कराधान विभाग की मौजूदा अधिसूचना में शामिल नहीं थे, पार्टी के दावे को खारिज करने का निर्णय लिया गया।"

महाबीर वेजिटेबल ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था:

(i) "बिक्री कर के भुगतान से छूट देने की शक्ति राज्य सरकार को क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का एक प्रयोग है और इस प्रकार, एक प्रत्यायोजित विधायी कार्य है। प्रत्यायोजित कानून को रद्द किया जा सकता है यदि ऐसा है स्थापित किया गया कि यह स्पष्ट मनमानी है। यह दिखाया जाना चाहिए कि यह उचित या स्पष्ट रूप से मनमानी नहीं थी।"

(ii) "उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार, हरियाणा राज्य द्वारा राज्य और उसके पड़ोस की उद्योग योजना को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नकारात्मक सूची को संशोधित करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया था। ऐसी स्थायी समिति ने नकारात्मक सूची के संशोधन पर विचार किया इसकी बैठक 15.9.1995 को हुई जिसमें अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, बिजली गहन उद्योगों, पारंपरिक प्रकार के उद्योगों को शामिल करने का निर्णय लिया गया जहां पहले से ही पर्याप्त क्षमता आ चुकी है और क्षमता में किसी भी तरह की वृद्धि मौजूदा उद्योग के स्वास्थ्य को खतरे में डाल देगी। ऐसी समिति के निर्णय या

कार्यवाही को मनमानी, पूर्वाग्रह, द्वेष या ऐसे किसी कारण का संकेत देने वाले किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं है।

(iii) इस न्यायालय के कुछ निर्णयों के दृष्टिगत जनहित में छूट का लाभ वापस लिया जा सकता है।

(iv) 'सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट को शामिल करने के लिए ऐसी शक्ति के प्रयोग का कोई आरोप नहीं है, जो किसी दुर्भावना, धोखाधड़ी या प्रामाणिकता की कमी से प्रेरित है। यह राज्य सरकार की राजकोषीय नीति का मामला है कि किन उद्योगों को छूट दी जानी चाहिए।"

(v) महाबीर वेजिटेबल ऑयल्स प्रा. लिमिटेड ने जमीन में केवल 4,44,000/- रुपये का निवेश किया और 14.12.1996 को 16,90,000/- रुपये की मशीनरी खरीदी।

(vi) "इस प्रकार, हम मानते हैं कि राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है कि छूट या स्थगन के माध्यम से प्रोत्साहन देने की योजना को परिचालन अवधि के दौरान संशोधित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा क़ानून के निर्धारित मापदंडों के भीतर प्रत्यायोजित विधायी कार्यों का

निष्पादन करने पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है।"

महाबीर वेजिटेबल ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड में प्रतिपादित निर्णय के तथ्यात्मक पहलू पर विचार किए बिना भारत रसायन लिमिटेड के मामले में इसका पालन किया गया।

इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में यह प्रार्थना की गई है:

"(ए) दिनांक 03.01.1996 की मसौदा अधिसूचना, 1988 की औद्योगिक नीति को संशोधित करने वाली दिनांक 16.12.1996 की अंतिम अधिसूचना और 28.05.1997 की हरियाणा बिक्री कर नियम, 1975 को संशोधित करने वाली अधिसूचना को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, अन्यायपूर्ण, अनुचित, अव्यवहारिक, अवैध और सार्वजनिक नीति के सिद्धांतों के विरुद्ध होने के कारण संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर रद्द करने के लिए विशेष रूप से प्रतिषेध की प्रकृति की एक उपर्युक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किये जावे।

(बी) विशेष रूप से परमादेश की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें उत्तरदाताओं को राज्य की 1988 की औद्योगिक नीति के अनुसार याचिकाकर्ताओं को

बिक्री कर छूट का लाभ देने का निर्देश दिया जाए;

(सी) ऐसा कोई भी अतिरिक्त आदेश या आदेश पारित करें जो माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित समझे।"

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. गणेश ने प्रस्तुत किया कि:

(i) अपीलकर्ताओं ने नियम 28ए बनाने में राज्य द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाने में निवेश किया था और जिस तारीख को नियम 28ए में संशोधन किया गया था, यानी 16.12.1996 को, अपीलकर्ता ने उक्त नियम के प्रावधानों का काफी हद तक अनुपालन किया था।

(ii) जैसा कि नियमों से जुड़ी अनुसूची III में, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट को शामिल नहीं किया गया था, अपीलकर्ता ने बड़ी राशि का निवेश किया जैसा कि उद्योग निदेशक के दिनांक 4.9.1997 के पत्र से जाहिर आता है कि उसने कुल का 45% निवेश किया था परियोजना लागत और, इस प्रकार, एक असुधार्य स्थिति में पहुंच गई।

(iii) ऑपरेटिव अवधि के अंत में संशोधन क्यों किया गया था इसके

सम्बन्ध में राज्य द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है।

(iv) ऐसे छूट प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लेना अन्यथा कानून की दृष्टि से गलत है।

(v) निदेशक ने गलत आधार पर अपीलकर्ताओं के छूट देने के आवेदन को खारिज कर एक स्पष्ट त्रुटि की और क़ानून के प्रावधानों को उच्च अधिकारियों द्वारा सही ढंग से समझा जाने के तथ्य की जानकारी होने के बावजूद, यह मानने में उच्च न्यायालय ने भी एक स्पष्ट त्रुटि की है कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पहले कोई अधिकार अस्तित्व में नहीं आया था।

(vi) दिनांक 6.12.1996 की अधिसूचना के साथ संलग्न नोट 2 इक्विटी को मान्यता देता है और मामले को ध्यान में रखते हुए इसके संदर्भ में प्रतिनिधित्व भी किया गया था।

(vii) राज्य के पास पूर्वव्यापी प्रभाव से नोट 2 को हटाकर नियमों में संशोधन करने की कोई अधिकारिता नहीं थी क्योंकि धारा 64 की उप-धारा (2 ए) वर्ष 2001 में लागू हुई थी।

(viii) राज्य ने उच्च न्यायालय में दायर अपने रिटर्न में यह तर्क नहीं दिया कि छूट अधिसूचना को वापस लेने में कोई बड़ा सार्वजनिक हित मौजूद है।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मंजीत सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया कि:

(ए) प्रारूप नियम राज्य द्वारा दिनांक 3.1.1996 की एक अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे, सभी संभावित उद्यमियों को ज्ञात था कि उक्त नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

(बी) मौजूदा नियमों के कारण अपीलकर्ताओं के गुमराह होने का कोई आधार नहीं था।

(सी) अंतिम अधिसूचना की तारीख तक, अपीलकर्ताओं ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया, उन्होंने कोई छूट प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं किया।

(डी) राज्य के पास पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन करने का अपेक्षित क्षेत्राधिकार है।

(ई) किसी भी स्थिति में, उद्यमियों का अधिकार एक अपरिहार्य अधिकार नहीं है, इसे उत्पादन शुरू होने से पहले वापस लिया जा सकता है।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि जब अपीलकर्ताओं ने निवेश करना शुरू किया, तो नियम 28ए लागू था। प्रतिनिधित्व निर्विवाद रूप से उक्त नियमों के अनुसार किया गया था। जैसा कि यहां पहले देखा गया, राज्य ने एक

दीर्घकालिक औद्योगिक नीति बनाई। यह समय-समय पर परिस्थितिजन्य परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नीति में परिवर्तन करता रहता है।

राज्य का इरादा अन्य बातों के साथ-साथ बिक्री कर के भुगतान में छूट और/या स्थगन के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहन देने का था, जिसके लिए नियम 28ए बनाया गया था। जैसा कि यहां पहले देखा गया है, राज्य द्वारा अधिनियमित बिक्री कर कानूनों में राज्य को ऐसी छूट देने का अधिकार देने वाला प्रावधान शामिल है।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम निर्विवाद रूप से राज्य की औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। कानून के माध्यम से या अन्यथा, निश्चित रूप से, क़ानून के प्रावधानों के अधीन ऐसी औद्योगिक नीतियां कई अन्य राज्यों द्वारा तैयार की गई हैं।

यह किसी भी संदेह से परे है कि प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत विधायी क्षेत्र में भी लागू होता है। जबकि इंग्लैंड में प्रॉमिसरी एस्टोपेल के विकास और वृद्धि का पता सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड बनाम हाई ट्रीज़ हाउस लिमिटेड (1947) 1 केबी 130 से लगाया जा सकता है, भारत में इसे बॉम्बे कलेक्टर बनाम बॉम्बे शहर का नगर निगम और अन्य, एआईआर (1951) एससी 469 में इस न्यायालय के फैसले से पता लगाया

जा सकता है। । उस प्रकरण में सरकार ने भूमि का अनुदान (जो अपेक्षित वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा नहीं करता था) किराया मुक्त कर दिया। हालाँकि, इसने 70 वर्षों के बाद किराए का दावा किया। ऐसा माना गया कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें विबन्धित कर दिया गया। इसमें आगे यह प्रतिपादित किया गया कि ऐसा कोई सर्वोपरि सार्वजनिक हित नहीं था जो राज्य के खिलाफ रोक को लागू करने को असमान बना दे क्योंकि ऐसी छूट देना राज्य की शक्ति के भीतर था।

मेसर्स मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [1979] 2 एससीसी 409 में इस न्यायालय ने राज्य की याचिका को इस आशय से खारिज कर दिया कि धारा 4-ए के तहत जारी किसी भी अधिसूचना के अभाव में यू.पी. बिक्री कर अधिनियम, राज्य बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए बिक्री कर के दायित्व को लागू करने का हकदार था और राज्य के खिलाफ कोई वचनबद्ध रोक नहीं हो सकती थी ताकि उसे अपनी नीति बनाने और लागू करने से रोका जा सके। सार्वजनिक हित।

इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचार हेतु पौरनामी ऑयल मिल्स और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, [1986] (सप्लीमेंट) एससीसी 728 में आया, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया कि :

"11 अप्रैल, 1979 के आदेश के तहत, औद्योगीकरण को

बढ़ावा देने, बिक्री कर से छूट और केरल राज्य में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए नई लघु इकाइयों को आमंत्रित किया गया था। पांच साल की अवधि के लिए खरीद कर को रियायत के रूप में बढ़ाया गया था और पांच साल की अवधि उत्पादन शुरू होने की तारीख से शुरू होनी थी। यदि इस तरह के आदेश के जवाब में और प्रदान की गई रियायत पर विचार करते हुए, किसी भी छोटे पैमाने के उद्यम के प्रवर्तकों ने केरल राज्य के भीतर अपने उद्योग स्थापित किए हैं, तो वे निश्चित रूप से अपने पक्ष में विबंधन या एस्टोपेल के नियम का अनुरोध करने के हकदार होंगे जब राज्य केरल का उद्देश्य अलग ढंग से कार्य करना है। अपीलकर्ताओं के रुख के समर्थन में इस न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला दिया गया कि समान परिस्थितियों में विबंधन या एस्टोपेल की याचिका लागू की जा सकती है और इस बिंदु पर सांविधिक प्राधिकारी एम.पी. शुगर मिल्स का केस है। दूसरी ओर, राज्य की ओर से बाकू/काजू कंपनी बनाम एसटीओ केस में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता जताई गयी है। बाकू/काजू कंपनी केस में इस न्यायालय ने पाया कि मंत्री द्वारा संबंधित व्यक्तियों से किए गए किसी निश्चित या निर्धारित वादे को दिखाने के लिए

कोई स्पष्ट आधार नहीं था और पार्टियों द्वारा अभ्यावेदन पर कार्रवाई करके उनकी स्थिति और किसी भी पूर्वाग्रह का सामना करने से उनका रुख बदला गया हो इसके समर्थन में भी कोई स्पष्ट आधार नहीं था। अतः तथ्यों के आधार पर विबंधन या एस्टोपेल की दलील देने का कोई केस नहीं बनता है। उक्त न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि पूर्वव्यापी रूप से छूट देने वाली अधिसूचना राज्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार नहीं थी, जैसा कि तब था, क्योंकि पूर्वव्यापी रूप से छूट देने की कोई शक्ति नहीं थी। एक संशोधन द्वारा वह शक्ति बाद में प्रदान की गई है। इन अपीलों में पूर्वव्यापी छूट का कोई सवाल ही नहीं है। हमने यह भी पाया कि उच्च न्यायालय द्वारा एम् पी शुगर मिल्स केस के निर्णय का कोई उदाहरण नहीं दिया गया। हमारे मत में, वर्तमान केस के तथ्यों के अनुसार, एम् पी शुगर मिल्स केस का सिद्धांत सीधे तौर पर लागू होता है और एस्टोपेल की दलील जवाब देने योग्य नहीं है।"

एक बार फिर सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त *(सहायक)* धारवाड़ और अन्य बनाम धर्मेंद्र ट्रेडिंग कंपनी और अन्य [1988] 3 एससीसी 570 में, इस न्यायालय ने, उसमें प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति पर, राज्य के इस तर्क

को खारिज कर दिया कि इसमें प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार का दुरुपयोग किया गया था और इस प्रकार राज्य अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता।

ऐसा माना गया:

> "अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह था कि दिनांक 30-6-1969 के उक्त आदेश द्वारा दी गई रियायतो का कोई कानूनी प्रभाव नहीं था क्योंकि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है जिसके तहत ऐसी रियायतें दी जा सकें और 30-06-1969 का आदेश कानून के दायरे से बाहर और गलत था। हम यह देखने में पूरी तरह से असफल रहे कि बिक्री कर के सहायक आयुक्त या उप आयुक्त, जो एक राज्य के पदाधिकारी हैं, कैसे कह सकते हैं कि राज्य द्वारा दी गई रियायत राज्य की शक्तियों से परे थी या राज्य भी ऐसा कैसे कह सकता है। इसके अलावा, यदि विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क सही है, तो परिणाम यह होगा कि 12-1-1977 का दूसरा आदेश भी उतना ही अमान्य होगा क्योंकि यह रिफंड के माध्यम से रियायतें भी देता है, हालांकि अधिक सीमित तरीके से और यह अपीलकर्ताओं का केस भी नहीं है।"

मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम डिप्टी कमिश्नर

वाणिज्यिक कर और अन्य, [1992] सप्लिमेंट 1 एससीसी 21 एक ऐसा केस है जहां इस न्यायालय के समक्ष इस बात पर विचार करने का अवसर था कि क्या पात्रता मानदंड में बाद में किया गया परिवर्तन पिछली अधिसूचना में निर्धारित शर्त के लिए पात्रता को पूर्ववत कर सकता है और इसका उत्तर नकारात्मक में दिया था।

इस न्यायालय ने पवन अलॉयज एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ बनाम यू.पी. राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य, [1997) 7 एससीसी 251] होल्डिंग में कानूनी स्थिति की पुष्टि की:

> "इन बिंदुओं पर उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि अपीलकर्ता सफल होने के हकदार हैं। यह माना जाना चाहिए कि 31-7-1986 की अधिसूचना का अपीलकर्ता के नए उद्योगों पर बोर्ड से 1-8-1986 से लेकर उनकी इकाइयों में बिजली आपूर्ति शुरू होने की संबंधित तिथियों से तीन साल की शेष अवधि के समाप्त होने तक 10% की विकास छूट प्राप्त करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिए समाप्त हो गया, यह परिणाम उन अपीलकर्ताओं के लिए तार्किक रूप से अनुसरण करता है जिन्होंने 1-8-1986 से पहले नए उद्योगों के रूप में बोर्ड के साथ आपूर्ति समझौते में प्रवेश किया है।"

यह प्रश्न हाल ही में पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड और अन्य, [2004] 6 एससीसी 465 केस में इस न्यायालय के समक्ष विचार हेतु आया था, जिसमें इस न्यायालय ने उक्त सिद्धांत के विकास का सर्वेक्षण किया था।

उस केस में राज्य ने अपने वादे के विपरीत कोई अधिसूचना जारी नहीं की। प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय का मत था कि राज्य खरीद कर को समाप्त करने के अपने वादे से बंधा हुआ था और चूंकि प्रतिवादी ने किए गए अभ्यावेदन पर कार्रवाई की, यह औपचारिक अधिसूचना का अभाव था जो एक मंत्रिस्तरीय कार्य मात्र था जिससे उत्तरदाताओं को 1.4.1996 से 3.6.1997 तक खरीद कर का भुगतान नहीं करना पड़ता।

हालाँकि, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान राज्य और अन्य बनाम जे.के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड और अन्य, [2004] 7 एससीसी 673 में इस न्यायालय के फैसले का उदाहरण दिया है, जिसमें यह प्रश्न विचाराधीन था कि क्या किसी विशिष्ट वादे के अभाव में, सभी मौजूदा इकाइयों तथा नई औद्योगिक इकाइयाँ द्वारा देय बिक्री कर की छूट देने की योजना एक वादा होंगी। ये प्रतिपादित किया गया कि:

> "इस मामले में सार्वजनिक हित में आरएसटी अधिनियम की धारा 15 और सीएसटी अधिनियम की

धारा 8 (5) दोनों के तहत छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति के तहत योजना को अधिसूचित किया गया था, उसी कारण से उक्त अनुदान को संशोधित या रद्द करने के लिए राज्य सरकार सक्षम थी। इस प्रकार जो प्रदान गया है उसे वापस लिया जा सकता है जब तक कि सरकार को प्रॉमिसरी एस्टॉपेल, जो सिद्धांत स्वयं इक्विटी और सार्वजनिक हित के विचारों के अधीन है, के आधार पर ऐसा करने से रोका नहीं जाता है। (एसटीओ बनाम श्री दुर्गा ऑयल मिल्स देखें) एक अक्षम्य अधिकार का दिया जाना, शर्तों में एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। छूट के निरंतर अनुदान (प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के अपवाद के बिना) का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं होने के कारण प्रतिवादी कंपनियों के पास दर, अवधि आदि जैसे किसी भी पहलू पर छूट का अपरिहार्य अधिकार होने कोई सवाल ही नहीं उठता।"

(जोर दिया गया)

उक्त निर्णय स्वयं इस प्रस्ताव के लिए निर्णायक है कि जो प्रदान किया गया है उसे सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है, सिवाय उस

मामले के जहां प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत लागू होता है। उक्त निर्णय इस प्रस्ताव का भी निर्णायक है कि प्रॉमिसरी एस्टोपेल इक्विटी और सार्वजनिक हित पर संचालित होता है।

बन्नारी अम्मन शुगर्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य, [2005] 1 एससीसी 625] में, यह कहा गया था:

> "19. प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत को लागू करने के क्रम में, सिद्धांत को आधार बनाने वाले पक्ष द्वारा याचिका में ही स्पष्ट, ठोस और सकारात्मक आधार रखा जाना चाहिए और किसी भी सहायक सामग्री के बिना इस आशय की स्पष्ट अभिव्यक्तियां की जानी चाहिए कि उक्त सिद्धांत आकर्षित होता है क्योंकि केवल इस आधार पर कि सिद्धांत का आह्वान करने वाले पक्ष ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा करते हुए अपनी स्थिति बदल दी, सिद्धांत की सहायता लेने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करते समय अदालतें प्राप्त किए जाने वाले परिणामों और बड़े पैमाने पर जनता की भलाई सहित सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि न्यायालयों को समानता सुनिश्चित करनी होगी और समानता के मूल सिद्धांतों को हमेशा ध्यान में रखना होगा।"

यह सच है कि राज्य ने 3.1.1996 को एक अधिसूचना जारी कर नियमों में संशोधन करने का इरादा व्यक्त किया था। हालाँकि, इसके कारण से, राज्य ने न तो कहा और न ही यह स्पष्ट रूप से कह सकता है कि नियमों में संशोधन किया जाएगा। अब कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रारूप नियमों को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब उक्त क्षेत्र में कोई नियम पहले से लागू न हो। कुछ मामलों में निर्णय लेने के उद्देश्य से कुछ शर्तों के अधीन प्रारूप नियमों का सहारा भी लिया जा सकता है। [पॉन्डिचेरी सरकार के माध्यम से भारत संघ और अन्य बनाम वी. रामकृष्णन और अन्य, [2005] 8 एससीसी 394, पैरा 23 और 24 देखे]

क़ानून के माध्यम से किए गए वादे/अभ्यावेदन क्षेत्र में लागू रहे। यह माना जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने केवल अगस्त, 1996 से अपनी स्थिति बदल दी है, लेकिन इस बात से न तो इनकार किया गया है और न ही यह विवादित है कि प्रासंगिक अवधि, अर्थात् अगस्त, 1996 से 16.12.1996 के दौरान न केवल उन्होंने भारी मात्रा में निवेश किया है, बल्कि राज्य के अधिकारियों ने भी लाभ स्वीकृत किये व अनुमतियाँ प्रदान की। पार्टियों ने अन्य कदम भी उठाए थे जो केवल नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से उठाए जा सकते थे। एक उद्यमी जो किसी पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करता है, वह राज्य द्वारा किए गए वादों या अभ्यावेदन के अनुसरण में या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति में

बदलाव लाने का हकदार है जब तक कि अन्यथा निषिद्ध न हो। राज्य द्वारा स्वीकार किया गया कि दिनांक 16.12.1996 की अधिसूचना में नोट 2 जारी किया जाने से इक्विटी उद्यमियों के पक्ष में संचालित हुई और जिसके तहत सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट को पहली बार अनुसूची III की नकारात्मक सूची में जोड़ा गया था।

अनुसूची III और नोट 2 में निहित दोनों प्रावधान अधीनस्थ कानून का हिस्सा बने। उक्त नोट के कारण, राज्य अपने घोषित उद्देश्य से विचलित नहीं हुआ। यह उस उद्देश्य के अनुरूप था जिसके लिए मूल नियम 28ए अधिनियमित किया गया था।

इस केस में, हम उस छूट की मात्रा से चिंतित नहीं हैं जिसके लिए अपीलकर्ता हकदार हो सकते हैं, बल्कि केवल उन प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए है जो हमारे सामने विचार के लिए आते हैं।

इस स्तर पर हम उक्त नोट को हटा दिए जाने के प्रभाव पर विचार कर सकते हैं। यह किसी भी समझ से परे है कि यदि इस संबंध में कोई शक्ति मुख्य अधिनियम में निहित है तो एक अधीनस्थ कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव और पूर्वव्यापी संचालन दिया जा सकता है। नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित विधान का प्रकार है। इसलिए एक प्रतिनिधि केवल उसके चार दीवारी के भीतर ही नियम बना सकता है।

यह कानून का एक मौलिक नियम है कि किसी भी क़ानून का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा उक्त अधिनियम की शर्तों में बहुत स्पष्ट रूप से या आवश्यक और विशिष्ट निहितार्थ से प्रकट या उत्पन्न नहीं होता है। [देखें वेस्ट बनाम ग्वेने, (1911) 2 अध्याय 1]

इस प्रकार, प्रत्यायोजित कानून के माध्यम से किसी संशोधन पर पूर्वव्यापी प्रभाव केवल अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (2 ए) के लागू होने के बाद ही दिया जा सकता है, उससे पहले नहीं।

नोट 2 के कारण, कुछ अधिकार प्रदान किये गये थे। यद्यपि निहित अधिकारों और अर्जित अधिकारों के बीच अंतर है तथा प्रत्यायोजित कानून के जरिये किसी अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। 1996 में व उसके बाद 2001 से पहले किए गए संशोधनों के जरिये भी पूर्वव्यापी प्रभाव से अपीलकर्ता के अधिकार नहीं छीने जा सकते थे।

उपर्युक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है, जिसे तदनुसार अपास्त किया जाता है। अपीलें स्वीकार की जाती हैं और केस पर नए सिरे से विचार करने के लिए केस उद्योग निदेशक को भेजा जाता है।

उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका में कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। रिट याचिका का

तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

बी.के.

अपीलें स्वीकार की गईं और रिट याचिका का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनम आर्य (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।